न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी करतारसिंह पूनियां आर.ए.एस.

अपील संख्या 2018/00155 (73/2018)

1. सतपाल सिह पुत्र श्री भागसिंह जाति जटसिख निवासी चौहिलांवाली तहसील व जिला हनुमानगढ।
2. जसपाल सिह पुत्र श्री भागसिंह जाति जटसिख निवासी चौहिलांवाली तहसील व जिला हनुमानगढ।
3. बहादर सिंह पुत्र श्री भागसिंह जाति जटसिख निवासी चौहिलांवाली तहसील व जिला हनुमानगढ।

—अपीलांट

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
2. शाखा प्रबंधक बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा बड़ोपल तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ।

— रेस्पोडेंट्स

अपील अर्न्तगत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम सपठित नियम 23 राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में सरकारी भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975

विरूद्ध आदेश सहायक कलक्टर पीलीबंगा दिनांक 13.02.2018, प्र. सं. 92/2017

अनवान स्टेट बनाम सतपाल

श्री महेन्द्र सिह सन्धू, अभिभाषक अपीलार्थी

श्री खुशकरण सिंह खोसा, राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1

निर्णय दिनांक 31.03.2022

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2022.05.17 12:08:13 IST
Reason: SelfAttested

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेण्ट संख्या 1 द्वारा एक प्रार्थना–पत्र पेश कर कथन किया कि ग्राम बड़ोपल बिरानी के खसरा नं. 1027 का रकबा 4.807 है0 रकबा वर्तमान में सतपाल जसपाल पि0 भागसिंह जाति जटसिख साकिन चौहिलांवाली, भादरसिंह पुत्र रामलाल जाति

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

जटसिख साकिन चाहिलांवाली के नाम खातेदारी दर्ज है। 2050 की जमाबन्दी में उक्त रकबा घग्घर के नाम दर्ज है। उक्त रकबा आवंटन अधिकारी द्वारा बिना किसी जांच के आवंटन आदेश नं. 1882 दिनांक 19.09.2000 को आवंटन किया गया है। न्यायालय जोधपुर एसबी रिट नं. 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम स्टेट में भी प्रतिबन्धित है राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के की धारा 16 के प्रावधान के विपरीत है इसलिए उक्त आवंटन को निरस्त किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण दर्ज किया एवं अप्रार्थी के नोटिस जारी किया एवं अपीलाधीन आदेश के द्वारा प्रश्गनत आवंटन को रद्द किया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रश्गनत भूमि जगवीर को पूर्व में आरजी काश्त पर आवंटित हुई थी। जगसीर सिह के इन्तकाल के उपरान्त यह भूमि उसके वारिसान के नाम दर्ज हो गई। जगसीर सिह के वारिसान ने यह भूमि अपीलाण्ट को जरिये पंजिकृत बैयनामा विक्रय कर दी गई जिसका राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हो गया। बैयनामा की दिनांक से ही प्रश्नगत भूमि अपीलाण्ट के कब्जा काश्त में चली आ रही है। इस भूमि को घग्घर भराव क्षेत्र की मानने में अधीनस्थ न्यायलाय ने तथ्यात्मक भूल की है यह भूमि ना तो घग्घर फल्ड की है एव ना ही जल भराव क्षेत्र के अन्तर्गत आती है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के प्रावधान राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम एवं इस अधिनियम के अधीन बने नियमों पर लागू नहीं होते हैं। अब्दुल रहमान बनाम बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान के विनिश्चय को हस्तगत मामले में लागू करने में तथ्य व विधि की भूल की है। माननीय उच्च न्यायालय के उक्त के अनुसार किसी विशेषज्ञ समिति ने कथित रूप से कोई सर्वे कर माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष ऐसी कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है। प्रश्नगत भूमि जगवीर सिह को स्थाई आवंटित हुई थी। कोई आवंटन राजस्थान उपनिवेशन (राजस्थान नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975 के नियम 21के अन्तर्गत निरस्त किया जा सकता है जबकि आवंटी ने कोई तथ्य छुपाये हों। इस मामले में कोई धोखा एवं मित्या व्यापदेशन का आक्षेप अपीलाण्ट पर नही था। जगवीर सिह ने कोई तथ्य नहीं छुपाये हैं। अधीनस्थ

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2022.05.17 12:08:13 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

न्यायालय में अपीलाण्ट संख्या 2 व 3 की तलबी भी नहीं करवाई गई है। पत्रावली में आगामी पेशी 13.10.2017 को अपीलाण्ट संख्या 1 के अधिवक्ता हाजिर आये व जवाब हेतु दिनांक 13.10.2017 को आगामी पेशी दिनांक 04.12.2017 दी गई थी। अधीनस्थ न्यायलाय ने आदेशिका में तारीख पेशी की काट छांट कर अपीलाण्ट की पीठ पीछे व सुनवाई व जवाब का अवसर दिये बिना दिनांक 13.02.2018 की तिथि को आदेश पारित कर दिया। अपीलाण्ट के अधिवक्ता द्वारा अपीलाधीन प्रकरण में तारीख पेशी बाबत पता किया तो पीठासीन अधिकारी द्वारा अपीलाट के अधिवक्ता को कहा कि इसी तरह के कई प्रकरण जैरकार है इनमें इकट्ठी एक ही दिन तारीख पेशी आपको सूचिना देते हुए तारीख पेशी मुकर्रर कर दी जावेगी परन्तु अपीलाण्ट के अधिवक्ता को कोई सूचना नहीं दी गई। इस कारण अपीलाधीन निर्णय का अपीलाण्ट को ज्ञान नही था, ज्ञान होते ही अपील प्रस्तुत कर दी गई है। अतः देरी क्षमा की जावे एवं अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे।

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रश्गनत रकबा सम्वत 2050 की जमाबंदी में 2 बिस्वा आराजीराज है शेष रकबा घग्घर के नाम दर्ज है। आवंटन अधिकारी द्वारा बिना किसी जांच के आवंटन जारी किया है। वर्णित रकबा माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर एस0बी0 रिट नं0 1538/03 अब्दुल रहमान बनाम स्टेट मं भी प्रतिबंधित हैं। उक्त वर्णित भूमि जो घग्घर के जल भराव है जो राजस्थान टिनेन्सी अधिनियम 1955 की धारा 16 के प्रावधानों में भी प्रतिबंधित भूमि है। आवंटन नियम विरूद्ध होने के कारण खारिज किया गया है जो विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6. अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र सशपथ होने एवं प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर श्रेयस्कर होने के कारण प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। अपील में हुए विलम्ब को क्षमा किया जाता है। अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

7. अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेण्ट संख्या 1 के प्रार्थना–पत्र पर प्रश्नगत ग्राम बड़ोपल बारानी के खसरा नं0 1027 का 4.807 है0 का आवंटन रद्द किया है। अपीलाण्ट

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Karlar Singh Poonia
Date: 2022.05.17 12:08:13 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

का मुख्य कथन यह है कि पत्रावली वास्ते जवाब हेतु नियत थी मगर आदेशिका में तारीख पेशी की काट छांट कर अपीलांट को सुनवाई व जवाब का अवसर दिये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया गया है एवं अपीलाण्ट संख्या 1 व 2 की तलबी भी नहीं करवाई गई है। अपीलाण्ट के उक्त तथ्यों की पुष्टि अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से होती है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में दिनांक 13.10.2017 को अपीलाण्ट संख्या 1 के अधिवक्ता उपस्थित आये व जवाब हेतु दिनांक 13.10.2017 को तारीख पेशी 04.12.2017 दी गई है। तारीख पेशी को काटकर छांट कर दिनांक 13.02.2018 को अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अपीलाण्ट संख्या 2 व 3 की तलबी नहीं करवाई गई है। जबकि उनकी तलबी करवाई जाकर उनको साक्ष्य सुनवाई का अवसर दिया जाना अपेक्षित था। अपीलाण्ट प्रश्नगत भूमि का खातेदार काश्तकार है। ऐसी स्थिति में अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर दिया जाना उचित है। अतः अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय को पुनः प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य है।

8. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील आंशिक स्वीकार की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा का अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.02.2018 निरस्त किया जाता है एवं प्रश्नगत भूमि के राजस्व रिकार्ड की दिनांक 13.02.2018 से पूर्व की स्थिति बहाल की जावे एवं पूर्व राजस्व रिकार्ड की जांच कर एवं उभयपक्ष को सुनवाई को अवसर दिया जाकर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 31.03.22 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

31.3.22

(करतारसिंह पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Karar Singh Poonia
Date: 2022.05.17 12:08:13 IST
Reason: SelfAttested